



दुर्गध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जयपुर (राजस्थान) 303329

डॉ. महेश दत्त
अधिष्ठाता

Mob. 9928402564
Email: dean.dairytech@sknau.ac.in

क्रमांक: प.()/दुविप्रौम/श्रीकनकुविवि/2025/2352

दिनांक: 03.03.2025

खुली निविदा सूचना

डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर, जिला जयपुर पर Multi media laboratory/class room items supply and installation हेतु प्रतिष्ठित डीलरों/डिस्टीबुटर/निर्माताओं आदि से Multi media laboratory/class room items supply and installation हेतु खुली निविदा आमंत्रित कि जाती है जिसके लिए खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्णरूप से भरे हुए प्रपत्र दिनांक 10.03.2025 समय प्रातः 11.30 बजे तक कार्यालय में जमा करानें होंगे जिन्हे उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे कमेटी द्वारा खोला जायेगा।

UBN:

/
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. प्रभारी सिमका, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
3. संयोजक /सदस्यगण, निविदा समिति, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी महोदय, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर।
5. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका जोबनेर/तहसील जोबनेर एवं श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर।
6. रक्षित प्रत्रावली।


अधिष्ठाता

प्रपत्र— "अ"
 (वित्तीय बिड)
 लिफाफा नं. 02

निविदा फार्म

1. फर्म/ एजेन्सी का नाम
2. फर्म/एजेन्सी का पूरा पता
3. फर्म का संगठन (एकल या साझेदारी में).....
4. आयकर (स्थाई खाता संख्या)
5. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या
6. Bank A/c with IFSC code.....
IFSC Code No.
7. निविदा की अनुमानित लागत : रु. 06.00 लाख
8. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तारीख व समय : 10.03.2025 को प्रातः 10.30 बजे तक
9. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तारीख व समय : दिनांक 10.03.2025 को प्रातः 11.30 बजे
10. निविदा खोलने की तारीख एवं समय : 10.03.2025 को अपराह्न: 04.00 बजे तक
11. निविदा प्रपत्र की कीमत : रु 1000/- नकद/ DD/BC द्वारा
12. बोली प्रतिभूति राशि (2%) रु. रु. 12000 / बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चैक नंबर दिनांक
13. कार्यालय : डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर

Rates for Multi media laboratory/class room items supply and installation at CODST, Jobner:-

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	मूल दर (प्रति नग) बिना कर	GST (प्रतिशत में)	GST राशि रु.	दर (प्रति नग) GST सहित (4+6) रु.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	86-inch IFPD with mini-pc	1				
2	PTZ camera	1				
3	Digital Podium	1				
4	LED	1				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

2 



**Multi media laboratory/class room items supply and installation हेतु निविदा के लिए
निर्धारित शर्तें:**

- a.लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली बोली प्रतिभूति राशि (2%) रु. रु. 12000/- (Multi media laboratory/class room items supply and installation at CODST, Jobner) /— बैंक ड्रापट/बैंकर्स चैक नंबर दिनांक अधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर, जिला जयपुर के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखे।
- b.लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये प्रति नग दरें रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
- c.दोनों लिफाफो नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
1. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
 2. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
 3. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉट छाँट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉट छाँट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द की जा सकेगी।
 4. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।
 5. The tender must be submitted in proper sealed envelope duly marked tender for supply and installation of Multi media laboratory/class room items at CODST, Jobner.
 6. Supply and installation of Multi media laboratory/class room items at CODST, Jobner के specifications Annexure-I में अंकित है उन्हीं के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।
 7. Rate should include all the applicable taxes/transportation charges etc
 8. In quotation also mention make and model of supply and installation of Multi media laboratory/class room items at CODST, Jobner along with brochure of specifications.
 9. The firm should have GST certificate and latest GST clearance certificate
 10. The undersigned is not bound to accept the lowest quotation and reject any quotation or any part of the quotation without assigned any reason thereof.
 11. No advance payment shall be made. Payment will be released after satisfactory report of the committee constituted at CODST, Jobner

12. The material will be supplied within 10 days of work order and satisfactory report of committee is essential for releasing payment to the firm.
13. The rate quoted must be F.O.R. destination at CODST, Jobner.
14. The responsibility of GST/other charges, tax etc applicable as per Govt. rule will be borne by the supplier.
15. Supply and complete installation will be responsibility of the firm. Quantity of supply and installation of Multi media laboratory/class room items at CODST, Jobner may increase or decrease.
16. The firms may visit the site for requirement of supply and installation of Multi media laboratory/class room items at CODST, Jobner to be fixed at CODST Main Building, Jobner in office hours.
17. Warrenty for all the items (supply and installation of Multi media laboratory/class room items at CODST, Jobner) will be two years.

18. निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी।

19. क्रयादेश/कार्यादेश के अनुसार सामान की आपूर्ति करनी होगी।
20. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्च पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
21. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 10.03.2025 को प्रातः10.30 बजे तक अधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर, जिला जयपुर से प्राप्त किए जाकर दिनांक 10.03.2025 को प्रातः11.30 बजे बजे तक रखीकार किए जाएंगे एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 10.03.2025 को अपराह्न: 04.00 बजे उपरिस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
22. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम—68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
23. दर संविदा समयावधि आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।
24. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय—समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।

निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिकिवडेटेड डेमेज राशि 2.50 से 10.00 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.50
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.00
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.50
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00

25. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर अधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर, जिला जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति, धरोहर राशि (Performance Security, Earnest Money) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
 26. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाशी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही महाविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
 27. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security)/ कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
 28. निविदादाता समस्त करों को समिलित करते हुये दरें(FOR, CODST, JOBNER) प्रति नग देनी होगी। अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 29. निर्धारित प्रपत्र के साथ फर्म का पहचान पत्र, PAN, GST Registration Certificate और GST चुकता करने का प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रतियाँ अवश्य संलग्न करें।
 30. यदि प्रपत्र डाउनलोड करके लिया गया तब रूपये 1000 का DD/BC द्वारा अधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर, जिला जयपुर अलग से लिफाफा नं. 01 में, प्रतिभूति राशि से अलग देना होगा।
 31. प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि का DD/BC संलग्न करे, इसके अभाव में निविदा अस्वीकार की जावेगी।
 32. गत तीन वर्षों के औसत टर्न ओवर Multi media laboratory/class room items supply and installation (Rs.12.00 lakhs) प्रपत्र (य) वाली फर्म इसके लिए पात्र रहेगी।
 33. फर्म के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे।
 34. सफल निविदादाता को (Performance security 5%) के साथ रु. 500.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्च सफल निविदादाता को वहन करना होगा।
 35. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु

की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

36. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्क्रियता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

37. **हित का विरोध --**

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित समिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तर्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के

पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की हैं।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

38. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे

अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अहता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘व’ में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अहता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम डेंगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अहता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अईता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपर्युक्त किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का छापा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विश्व सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील वा प्रारूप –** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र – 'व') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
 - (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 - (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यवितरण: या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. **अपील फाइल करने के लिए फीस –** (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
 - (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया –** (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
 - (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
 - (क) उसके समक्ष उपरिथित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
 - (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
 - (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया किसी भी विविदा को रखीकार या अरखीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर, (जयपुर) को होगा।
39. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
40. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

Jm

अधिष्ठाता

डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

महाविद्यालय, जोबनेर

(जयपुर)

मैंने/ हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा
मैं/ हम उपर्युक्त समरत शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/ रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय की जहाँ कही भी Multi media laboratory/class room items supply and installation का कार्य किया है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने Multi media laboratory/class room items supply and installation का कार्य जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सप्लाई आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष

ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर
()

2021–22

2022–23

2023–24

योग

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष

(प्रमाणित)

हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदी लेखाकार)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

मोहर एवं दिनांक

UDIN

Annexure-I

S.N.	Name of Item	Specifications
1	86-inch IFPD with mini-pc	Interactive Panel (86 inch) Interactive Board Size: 86 inches with integrated camera -4K UHD LED touch panel: Anroid 11, 4GB RAM/ 32 GB ROM: Commercial A Grade Panel: Resolution 3840(H)x2160 (V),4 mm thick anti-glare, frequency 60 Hz: Speaker 2x15 watt: Touch specification: Non-contact infrared sensing technology with wireless system: CPU/OPS core i5 with all essential accessories required for proper function of panel. With installation at laboratory. With Two year warranty.
2	PTZ camera	4K PTZ Camera with AI-Humanoid tracking & auto framing, 4k UHD, 1/2.5 inch CMOS sensor, 80.8° wide Angle lens, 16X Digital Zoom, at least 12X Optical Zoom, HDMI 1.4B, Pan range ±170°, Tilt Range -30° ~ +90°, 255 Presets with two year warranty
3	Digital Podium	15/8GB Ram/512GB SSD Display - Touch Screen 21.5" Motorized Tilt Mech. Operating System Windows 11 Pro Gooseneck Mic. amplifier, 4 external speakers 50 wt. 1 Wireless MIC & Receiver Interactive Digital Display Smart Connectivity Sleek and Professional Design Ample Storage Space Intuitive Touch Controls with two year warranty
4	LED	LED Digital 65"TV Display HDR 3D Technology Panel Type Screen Resolution Resolution: 4K Ultra HD (3840 x 2160) Refresh Rate: 60 Hertz 178 Degree wide viewing angle Connectivity: 3 HDMI, 2 USB ports, wifi, LAN Sound : 20 Watts Output Dolby Audio, Smart TV Features: Google TV, Watchlist, Voice Search, Google Play, Chromecast Display: 4K Processor 4K HDR, Live Colour Warranty Information: 2 year comprehensive warranty




Form No.1(See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of the appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official Address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal.....(supported by an affidavit)

7. Prayer.....

Place : Date:

Appellant's Signature